न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /2019 द्वितीय अपील

अपील-0720/2019/शिवपुरी/भू0रि0

खेमचन्द्र पुत्र श्री पातीराम गुप्ता, निवासी-ग्राम कालामढ़, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी म0प्र0.....**अपीलार्थी**

बनाम

म0प्र0 शासन.....**प्रतिअपीलार्थी**

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1955 विरूद्ध श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0077/18-19 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.04.2019

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थी की ओर से अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यहकि, अपीलार्थी द्वारा कृषि भूमि सर्वे नम्बर 891 रकवा 0.27 हैक्टेयर स्थित ग्राम कालामठ तहसील बैराड जिला शिवपुरी वर्ष 1999-2000 में अपीलार्थी को पटटे पर प्राप्त हुई एवं राजस्व अभिलेख में विक्रय से वर्जित होने से विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र माननीय कलेक्टर महोदय शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया

38 June- 2019

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 0720/2019/शिवपुरी/भू0रा0.

खेमचन्द्र विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27—6—2019	अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा कायमी के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार गया। 2/ अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 0077/2018—19/अपील में पारित आदेश दिनांक 22—04—2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा विकय की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर ने नियमानुसार प्रतिवेदन प्राप्त किया। तहसीलदार बैराड ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी की ओर से पुत्रियों के विवाह के संबंध में कोई प्रमाण/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, अपीलार्थी का बेटा संविदा शिक्षक वर्ग—2 पदस्थ होने एवं भूमि विकय की अनुमति उपरांत मात्र 0.57 हेक्टर संयुक्त खाते की भूमि शेष रह जाने का उल्लेख किया। प्रतिवेदन प्राप्त करनें एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के उपवरांत कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 31—7—2018 से अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा कोई नये तथ्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये है जिसरो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में परिवर्तिन किया जा सके। फलस्वरूप अपील प्रथमदृष्टया ही आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। 27/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	